उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

पत्रांकः ओ.यू./1583/2018 दिनांक–20–11–2018

सूचना

सूच्य है कि विश्वविद्यालय के अधिकांश अध्ययन केन्द्रों द्वारा प्रेषित एवं परामर्श प्रकोष्ठ में प्राप्त परामर्श देयक निर्धारित अर्हता एवं प्रारूप पर नहीं रहते, जिसके कारण विश्वविद्यालय स्तर पर देयकों के परीक्षण/भुगतान से सम्बन्धित कार्यवाही में असुविधा उत्पन्न हो रही है, जबकि कई बार विभिन्न कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के माध्यम से समय–समय पर अध्ययन केन्द्रों को परामर्श देयक से सम्बन्धित समस्त वांछित प्रोफार्मा/प्रपत्र उपलब्ध कराये जा चुके है साथ ही दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम संचालन पुस्तिका, विश्वविद्यालय वेबसाइट के लिंक http://www.uprtou.ac.in/uprtou-publication.php पर भी पूर्व से उपलब्ध है जिसमें परामर्श देयकों से सम्बन्धित नियम तथा प्रोफार्मा/प्रपत्र उपलब्ध है।

अतः प्रश्नगत् समस्त प्रोफार्मा/प्रपत्र तथा अर्हता मानक पुनः इस आशय के साथ उपलब्ध कराये जा रहे हैं कि समस्त अध्ययन केन्द्र निर्धारित प्रारूप पर ही परामर्श देयक भुगतान हेतु विश्वविद्यालय में निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में परामर्श देयकों के भुगतान पर विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्नक–उक्तवत् !

कुलसचिव

पृ. संख्याः ओ.यू./ /2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त विद्याशाखा/विभाग/अनुभाग, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
2. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
3. परामर्श प्रकोष्ठ, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
4. श्री शहबाज अहमद, टेक्निकल ऑफिसर (वेबसाइट डेबलपर) को वेबसाइट पोर्टल तथा अध्ययन केन्द्र लॉगिन पर अपलोड करने हेतु।
5. कुलपति जी के निजी सचिव को माननीय कुलपति जी के सादर सूचनार्थ।

कुलसचिव

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

(उ0प्र0 सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय : स्थापना वर्ष 1999)

परामर्श कक्षाओं हेतु परामर्शदाताओं/शिक्षकों की सूची का प्रारूप

अध्ययन केन्द्र नाम और कोड.....

सत्र.....

क्र.सं.	परामर्शदाता/शिक्षक का नाम	शैक्षणिक योग्यता (पूर्ण विवरण सहित)	वर्तमान में कार्यरत संस्था का नाम एवं पदनाम (विभाग सहित)	शिक्षण विषय	विषय अभिरूचि–क्षेत्र	शिक्षण अनुभव	मोबाइल नम्बर

प्राचार्य
(हस्ताक्षर एवं मोहर)

समन्वयक
(हस्ताक्षर एवं मोहर)

नोट : 1. शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव सम्बन्धी प्रपत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।
2. नेट/पी0एच0डी0 का विषय सहित उल्लेख करना आवश्यक है।
3. बी0एड0/बी0एड0(विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रमों हेतु – बी0ए0 तथा एम0ए0 में लिए गये समस्त विषयों का उल्लेख करना आवश्यक है।

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–01

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

परामर्श (Counselling) व्यय का विवरण

अध्ययन/सम्पर्क केन्द्र का नाम.....

अध्ययन केन्द्र कोड संख्या.....सत्र.....

क्र.सं.	कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम में छात्रों की संख्या	पाठ्यक्रम कोड	क्रेडिट संख्या	पंजीकृत छात्रों की संख्या	कुल अनुमन्य काउन्सिलिंग की संख्या	काउन्सिलिंग का विवरण					मानदेय की दर	मानदेय की धनराशि	मार्ग व्यय	कुल देय धनराशि	उपस्थिति पत्रक की पृष्ठ संख्या
							काउन्सलर का नाम	पदनाम/विवरण	संस्था जिसमें कार्यरत हैं	माह	काउन्सिलिंग की संख्या					

प्राचार्य
(हस्ताक्षर एवं मोहर)

समन्वयक
(हस्ताक्षर एवं मोहर)

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

(उ0प्र0 सरकार का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय : स्थापना वर्ष 1999)

परामर्श कक्षाओं हेतु समय–सारणी का प्रारूप

अध्ययन केन्द्र नाम और कोड.....

सत्र.....कार्यक्रम का नाम व विषय.....

समय → / दिनांक ↓				

प्राचार्य/समन्वयक
(हस्ताक्षर एवं मोहर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–04

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

प्रपत्र–II

प्रयोगात्मक कार्य का विवरण

अध्ययन/सम्पर्क केन्द्र का नाम.....

सत्र.....कोर्स.....

माह.....

क्र.सं.	प्रयोगात्मक कार्य कराने वाले का नाम	विवरण	दर	धनराशि
1	2	3	4	5

प्राचार्य
(हस्ताक्षर एवं मोहर)

समन्वयक
(हस्ताक्षर एवं मोहर)

नोट : प्रयोगात्मक कक्षाओं का उपस्थिति पत्रक संलग्न करना आवश्यक है।

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

परामर्श कक्षाओं हेतु छात्र–उपस्थिति पत्रक

सत्र.....

अध्ययन केन्द्र कोड.....अध्ययन केन्द्र का नाम.....

कार्यक्रम का नाम.....प्रश्न–पत्र का नाम व कोड.....

क्षेत्रीय केन्द्र का नाम.....दिनांक.....समय.....कक्ष संख्या.....

क्र.सं.	शिक्षार्थी का नाम	नामांकन संख्या	शिक्षार्थी के हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			

प्राचार्य/समन्वयक के हस्ताक्षर मोहर सहित

परामर्शदाता/शिक्षक के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पद नाम.....

पूरा पता.....

Scanned by CamScanner

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

1. *सामान्य कार्यक्रमों हेतु अर्हता सम्बन्धी दिशा निर्देश*

1. सामान्य रूप से स्नातक स्तर की कक्षाओं के लिए पारम्परिक अथवा दूरस्थ शिक्षा में 03 वर्ष का अध्यापन अनुभव तथा परास्नातक कक्षाओं के लिए 05 वर्ष का परास्नातक स्तर के अध्यापक का अनुभव अपेक्षित है।

2. स्नातक स्तर पर 03 वर्ष तथा परास्नातक स्तर पर 05 वर्ष का अध्यापन अनुभव के अध्यापकों के उपलब्ध न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत शिक्षक जो सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर व नेट/पी.एच.डी. हों, से परामर्श कार्य कराया जा सकता है।

3. प्रोफेशनल कार्यक्रम (MCA/MBA/PGDCA/BCA etc) जहाँ UGC के साथ–साथ AICTE के नियम लागू होते हैं उन कार्यक्रमों में परामर्श कार्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में कार्यरत शिक्षक जो सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हों, से कराया जा सकता है। स्नातक स्तर पर 03 वर्ष तथा परास्नातक स्तर पर 05 वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले को वरीयता दी जाय।

4. परामर्श देयक के साथ परामर्शदाताओं का बायोडाटा संलग्न न होने की स्थिति में परामर्शदाताओं के सम्बन्ध में अध्ययन केन्द्र समन्वयक/प्राचार्य/निदेशक के सत्यापन/हस्ताक्षरित सूची के आधार पर देयकों का परीक्षण किया जाय।

प्रोजेक्ट निर्देशन हेतु नियम

प्रोजेक्ट कार्य के निर्देशन (सुपरवाइजर) हेतु अनिवार्य अर्हता, सम्बन्धित विषय में परास्नातक उपाधि है। निर्देशक से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे उस विषय में पर्याप्त अनुभव हो और वह किसी योग्य पद पर कार्यरत हो अथवा अवकाश प्राप्त हो।

2. *बी0एड0 एवं बी0एड0 (वि0शि0)/पी0जी0पी0डी0 कार्यक्रम हेतु अर्हता सम्बन्धी दिशा निर्देश*

1. सामान्य शिक्षण प्रकृति वाले प्रश्नपत्रों का शिक्षण, शिक्षण विषयों का शिक्षण एवं प्रयोगात्मक कार्य का शिक्षण व पर्यवेक्षण का कार्य बी0एड0 (वि0शि0)/एम0एड0 (वि0शि0) का शिक्षण कर रहे एम0एड0 (वि0शि0) उपाधि धारक शिक्षकों के साथ–साथ सामान्य बी0एड0/सामान्य एम0एड0 का शिक्षण कार्य कर रहे/NCTE मानक के अनुसार नियुक्त अध्यापकों के द्वारा कराया जा सकता है।

2. बी0एड0 (वि0शि0) के विशिष्टता के क्षेत्र के प्रश्नपत्रों का शिक्षण, प्रयोगात्मक कार्य व पर्यवेक्षण केवल सम्बन्धित क्षेत्र में एम0एड0 (वि0शि0) उपाधि धारक कार्यरत या सेवानिवृत्त शिक्षकों से कराया जा सकता है।

3. बी0एड0 (वि0शि0) कार्यक्रम में उपकरणों पर प्रशिक्षण कार्य के सम्बन्धित क्षेत्र के पंजीकृत चिकित्सकों/Therapist से कराया जा सकता है।

4. Mentor For General School Teaching-
सामान्य प्रकृति के शिक्षण विषयों हेतु Mentor के लिए वही अध्यापक अर्ह होंगे जो प्रशिक्षित अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं।

5. Mentor For ~~Centre~~ Special School Teaching.
विशिष्टता क्षेत्र के शिक्षण विषयों हेतु के लिए वही अध्यापक अर्ह होंगे जो प्रशिक्षित अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं।

उपर्युक्त मानक विश्वविद्यालय स्तर पर नवीन मानकों/दिशानिर्देशों के निर्धारण/परिमार्जन तथा क्रियान्वयन तक मान्य किये जा सकते हैं।

डॉ0 आशुतोष गुप्ता